

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग (सड़क सुरक्षा)
अभियंत्रण छात्रावास सं०-२, धुर्वा, राँची

**मोटरवाहन अधिनियम, 1988 एवं केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के अधीन अपराध
एवं दंड की विवरणी :**

क्रम	अपराध का विवरण	धारा / नियम	जुर्माना / सजा
1.	वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाना	मो.वा.अ. की धारा - 181	रु. 500 या 3 महीने का कारावास या दोनों
2.	कम आयु वर्ग के व्यक्ति (नाबालिग) द्वारा वाहन चलाना	मो.वा.अ. की धारा - 180	रु. 1000 या 3 महीने का कारावास या दोनों
3.	दुपहिया वाहन/मोटर साइकिल पर अपने अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति को बैठाकर वाहन चलाना (तीन सवारी)	मो.वा.अ. की धारा - 177 के अंतर्गत अनुच्छेद-128(1)	रु. 100 पहले अपराध के लिए रु. 300 दूसरे व अनुवर्ती अपराध के लिए.
4.	चालक और पीछे बैठे व्यक्ति द्वारा सुरक्षा उपकरण (हेलमेट) का प्रयोग न किया जाना	मो.वा.अ. की धारा - 177 के अंतर्गत अनुच्छेद-129	रु. 100 पहले अपराध के लिए रु. 300 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
5.	वाहन चलाने समय चालक एवं आगे की सीट पर बैठे सहयात्री द्वारा सीटबेल्ट का प्रयोग न किया जाना	मो.वा.अ. की धारा - 177 के अंतर्गत के०मो०वा०नि० का नि० 138(3)	रु. 100 पहले अपराध के लिए रु. 300 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
6.	चालक द्वारा यातायात संकेतों के अनुपालन में विफलता (लाल बत्ती को पार करना, पीली रेखा का उल्लंघन, संकेत के बिना लेन को बदलने आदि)	मो.वा.अ. की धारा - 177 के अंतर्गत अनुच्छेद-119	रु. 100 पहले अपराध के लिए रु. 300 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
7.	खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना	मो.वा.अ. की धारा - 177	रु. 100 पहले अपराध के लिए रु. 300 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
8.	ड्राइविंग लाइसेंस धारक किसी अन्य व्यक्ति को इसके प्रयोग कि अनुमति देने वाले	मो.वा.अ. की धारा - 177 के अंतर्गत अनुच्छेद-6(2)	रु. 100 पहले अपराध के लिए रु. 300 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
9.	वैध कागजातों के बिना वाहन का परिचालन करना	मो.वा.अ. की धारा - 177	रु. 100 पहले अपराध के लिए रु. 300 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
10.	किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ड्राइविंग या ड्राइविंग की अनुमति देकर खतरनाक एवं जोखिम भरे सामान का परिवहन करना	मो.वा.अ. की धारा - 190(3)	पहले अपराध के लिए रु. 3,000 तक का दंड या एक वर्ष का कारावास; दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए रु. 5000 तक का दंड या एक वर्ष का कारावास या दोनों
11.	किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना निबंधन के वाहन का परिचालन करना	मो.वा.अ. की धारा - 192(39) एवं धारा 177	पहले अपराध के लिए रु. 5,000 (कम से कम रु. 2,000) या 3 महीने का कारावास; दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए रु. 10,000 (कम से कम रु. 5000) या एक वर्ष का कारावास या दोनों
12.	बिना परमिट या परमिट के शर्तों का उल्लंघन कर वाहन का परिचालन करना	मो.वा.अ. की धारा -192क	पहले अपराध के लिए रु. 5,000 (कम से कम रु. रु. 2,000) या 3 महीने का कारावास; दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए रु. 10,000 (कम से कम रु. 5000) या एक वर्ष का कारावास या दोनों

13.	किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना वैध दुरुस्ती प्रमाण पत्र के वाहन का परिचालन करना	मो.वा.अ. की धारा - 192(56) एवं धारा 177	पहले अपराध के लिए रु. 5,000 (कम से कम रु. 2,000) या 3 महीने तक का कारावास, दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए रु. 10,000 (कम से कम रु. 5000) या एक वर्ष का कारावास या दोनों
14.	बिना बीमा के वाहन का परिचालन करना	मो.वा.अ. की धारा - 196 के अंतर्गत अनुच्छेद-146	रु. 1,000 का दंड या 3 महीने का कारावास या दोनों
15.	खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने एवं ऐसा करने के लिए उकसाने पर	मो.वा.अ. की धारा - 184 एवं धारा 188	पहले अपराध के लिए 6 महीने का कारावास या रु. 1,000 तक का दंड या दोनों; दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए 2 साल का कारावास या रु. 2,000 तक का दंड या दोनों
16.	बिना वैध दुरुस्ती प्रमाण पत्र (PUC) के वाहन का परिचालन करना	मो.वा.अ. की धारा -190(2) एवं के०मो०वा०नि० का नि० 115	रु. 1000 पहले अपराध के लिए रु. 2000 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के guidelines के अनुसार निम्नलिखित अपराधों के विरुद्ध दंड के साथ साथ वाहन चालक का चालक अनुज्ञप्ति (driving licence) निलंबित करने का प्रावधान भी किया गया है।

17.	वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना	मो.वा.अ. की धारा - 184	रु. 1000 पहले अपराध के लिए रु. 2000 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
18.	गतिसीमा का उल्लंघन कर अधिक गति में वाहन चलाना	मो.वा.अ. की धारा - 183(1) के अंतर्गत अनुच्छेद-112	रु. 400 पहले अपराध के लिए रु. 1,000 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
19.	लदान क्षमता से अधिक अतिरिक्त भार के साथ वाहन का परिचालन करना	मो.वा.अ. की धारा -194 (2) के अंतर्गत अनुच्छेद-113 (3), 114, 115	न्यूनतम रु. 2,000 और अतिरिक्त रु. 1,000 अतिरिक्त लोड की प्रति टन भार के लिए व अतिरिक्त भार उतारने का खर्च
20.	मालवाहक वाहनों में यात्रियों का परिवहन करना	मो.वा.अ. की धारा - 177 एवं 184	रु. 100 पहले अपराध के लिए रु. 300 दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए
21.	मादक एवं नशीली दवाओं के प्रभाव में वाहन का परिचालन करना	मो.वा.अ. की धारा - 185 एवं धारा 188	पहले अपराध के लिए 6 महीने का कारावास या रु. 2,000 का दंड या दोनों; दूसरे या अनुवर्ती अपराध के लिए 2 साल का कारावास या रु. 3,000 का दंड या दोनों